न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

तारीख रजू 13.5 2014

प्रा.पत्र. (रैफ.) संख्या 09/14
आरसीएमएस संख्या 2017/00179
बउनवानीः— सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

बनाम

1. बिशन्या पुत्र रामसुखा मीना निवासी बोरीफ तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

(रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2), राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितः—1. श्री महावीर चौधरी — पैरोकार राजस्व
3. श्री प्रितम सिंह चौधरी — वकील अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :— **दिनांक 16.12.2019**

यह रेफ.प्रार्थना पत्र तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोरीफ तहसील सवाईमाधोपुर की आराजी ख0न0 283 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाली के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में अभिलिखित थी तथा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नही है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि मे से रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा (बाद सेटलमेंट हाल ख0न0 735/0.01, ख0न0 736/0.01 एवं ख0न0 737/0.28 है0) भूमि अनियमित रूप से अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया है जो अवैद्य है तथा नियम विरूद्ध आवंटन की श्रेणी मे आता है जिसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 119 दिनांक 14.6.1976 से गैर खातेदारी का व नामा0संख्या 268 दिनांक 15.4.1986 से खातेदारी का अप्रार्थी के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया है जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी/रैफ. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किये गये अवैद्य आवंटन के आधार पर खातेदारी प्रोदभूत वर्जित भूमियों के संबंध में उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावे।

इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करवाने बाबत उक्त रैफ. दिनांक 12.9.2006 को राजस्व मण्डल को रेफर किया गया था किन्तु राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 18.12.2013 से उक्त रैफरेन्स इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि किस तिथि को किस आदेश से आराजी का आवंटन किया गया है इसका नामा0 मे कोई उल्लेख नही है इसके अतिरिक्त आवंटन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत नही की गयी है। तथा भू प्रबंध विभाग द्वारा ख0न0 283 के नवीन ख0न0 कौन–कौन से कायम किये गये है इस बाबत मिलान क्षेत्रफल सहित मूल आवंटन मिसल/नियमन आदेश के साथ भिजवाया जावे। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय से आवंटन आदेश एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गयी है। तत्पश्चात बहस पैरोकार राजस्व एवं वकील अप्रार्थीगण सुनीय गयी।

दौराने बहस पैरोंकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर प्रस्तुत रैफरेन्स के संबंध में सम्वत् 2028 से 2031 की जमाबन्दी की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि ग्राम बोरीफ की आराजी ख0न0 283 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा जो कि मुताबिक राजस्व अभिलेख गै.मु. नाली के रूप मे दर्ज थी जिसमे से नियमों के विपरीत 1 बीघा 04 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया जाकर विधि विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 119 दिनांक 14.6.1976 से गैर खातेदारी का व नामा0संख्या 268 दिनांक 15.4.1986 से खातेदारी का अप्रार्थी के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया है जो नियम विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं वर्जित वर्ग की श्रेणी मे आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकारी उदभूत नही होते तथा मय भूमि काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1970 के

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नही है इस प्रकार विधि विरूद्व दर्ज फैसल किये गये उक्त नामा0 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 द्वारा भी इस प्रकार की भूमियों के संबंध में 15.8.1947 की स्थिति बहाल करने बाबत आदेश प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के पक्ष में विधि विरूद्व दर्ज फैसल किये गये नामा0 को निरस्त फरमाये जाने की राय के साथ रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स बिना किसी ठोस आधार एवं तथ्यो की जॉच किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है क्योकि प्रश्नगत भूमि की किस्म वरवक्त आवंटन नाला न होकर सिवायचक बारानी–2 भूमि थी जिसको आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.8.1975 को विधिवत आवंटन किया गया था। यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि गया अदालत मातहत ने प्रश्नगत भूमि की किस्म सन्,1947 में तलाई हो ऐसा कोई सबूत/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर उक्त रैफरेन्स मे प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि हो। यह तर्क भी दिया कि मुताबिक आवंटन मिसल के उक्त भूमि वरवक्त आवंटन सिवायचक बारानी–2 थी जिसका आवंटन आदेश में अंकित है तथा आवंटन हुए काफी समय हो चुका है एवं आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का बहाव, नदी,नाला व तालाब इत्यादि नही है अपितु समतल भूमि है तथा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय कोई बहाव क्षेत्र नही था ओर ना ही 1947 मे बहाव क्षेत्र था इसलिए प्रश्नगत प्रकरण पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय चस्पा नही होता है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त रैफरेन्स प्रस्तुत करने से पूर्व प्रश्नगत भूमि का कोई मौका नही देखा है व तथ्यों के विपरीत मियाद बाहर रैफरेन्स प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया कि विधिवत प्रक्रिया कि तहत प्रदत्त खातेदारी अधिकारों को रैफरेन्स के जरिये पूर्वानुसार स्थिति (रैस्ट्रोस्पेक्टिव इम्फैक्ट) से लागू कर निरस्त फरमाया जाना न्याय की मंशा के विपरीत है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर हम न्याय के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर मण्डल को रैफर किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ग्राम बोरीफ का नामा0संख्या 119 दिनांक 14.6.1976 से गैर खातेदारी का व नामा0संख्या 268 दिनांक 15.4.1986 को निरस्त करने की राय के मय मूल आवंटन आदेश दिनांक 28.8.1975 एवं मिलान क्षेत्रफल के साथ माननीय राजस्व मण्डल– राजस्थान– अजमेंर को रैफर किया जाता है। उभयपक्षों को माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 22.1.2020 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Sd/-

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.30 16:25:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: